कार्यवाही विवरण

मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा कुल क्षेत्रफल–16.37 एकड़ में कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 10/05/2023 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा कुल क्षेत्रफल–16.37 एकड़ में कोल वॉशरी क्षमता–0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढाकर 2.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि, बिलासपुर में दिनांक 24/03/2023 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र पायोनियर, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 24/03/2023 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 10/05/2023 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) के ग्राम पंचायत भवन के पास स्थित मैदान में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा, जिला–बिलासपुर, महाप्रबंधक, कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत–खरगहनी, पथर्रा, खरगहना, पीपरतराई, खुरदूर, छेरकाबांधा, भरारी, गोकुलपुर, कलमीटार, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर –19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार,

टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को 01 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित दिनांक 10/05/2023 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) के ग्राम पंचायत भवन के पास स्थित मैदान में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री आर. ए. कुरवंशी, अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री संदीप कुमार वर्मा, महाप्रबंधक डॉ. जयंत मोइत्रा, पर्यावरण सलाहकार, इण्डटेक हाऊस कंसल्ट, दिल्ली के द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अतिरिक्त कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

''ग्राम के नागरिक द्वारा, हम लोग जनसुनवाई नहीं चाहते, हम लोग। ये हमारा पांचो पंचायत जन सुनवाई के विरोध में है न कागज देंगे, न हम कुछ बोलेंगे। विरोध कर रहे हैं, हमको जन सुनवाई नहीं चाहिए। ग्राम वासियों द्वारा कोल वॉशरी नही चाहिए, बंद करो, बंद करों का नारा लगाया गया। बीच–बीच में जन समुदाय द्वारा कोल वॉशरी का सामूहिक विरोध जाहिर करते हैं।''

1. **श्रीमती संतोषी ध्रुव, ग्राम–खरगहनी** :–कोल वॉशरी नहीं चाहिए। कोल वॉशरी बंद करो।

''जन समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से कोल वॉशरी बंद करो, बंद करो के नारे लगाये जा रहे हैं।''

2. **श्री नरेद्र कुमार त्रिवेद्वी, ग्राम–खरगहनी** :–केन्द्र सरकार की क्या गाईड लाईन है, और राज्य सरकार की क्या गाईड लाईन है, मेरे को जानकारी दीजिए।

''उसी बीच जन समूह द्वारा बंद करो, बंद करो कोल वॉशरी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए के नारे लग रहे हैं।''

3. **श्री राजेश साहू, ग्राम–खरगहनी** :– खरगहनी में कोल वॉशरी कहां चल रहा है? खरगहनी में 96 टन कोल वॉशरी कहां चल रहा है। परिवर्तन की बात कर रहे हो। खरगहनी में जंगल नहीं है बोलते है, ये कितना कर्मचारी काम कर रहे है, ये बता दे, 52 एकड जमीन कैसे सामान्य हो गया, आप कृषि भूमि को औद्योगिक कैसे कर दिया गया है। ये सामान्य क्षेत्र नहीं है, ये आरक्षित क्षेत्र है। खरगहनी में जंगल नहीं है। आप ये बताओ कि किसके परमिशन से जेसीबी चलाये हो, कितने पौधा मरा है। खरगहनी का जनप्रतिनिधी, क्यों उठाये हो, दो–दो आदमी पंच के बेटा को क्यों उठा लिये हो, पंच को उठा लिये हो, ये क्या दादागिरी है। भैया सबको अंदर कर दो। 4 दिन हो गया पुलिस गाडी खरगहनी में घूम रहा है, कोल वॉशरी के खिलाफ बोलेगा तो अंदर कर देंगे, खरगहनी के आदमी दहशत में है, पूरा गुंडाराज बना के रखे हो। गांव के जनता को सहमति देना चाहिए। आदिवासी जमीन को कोल वॉशरी के नाम चढा दिये हो। कहां पर है 96 मीलियन टन का कोल वॉशरी, हमको दिखाओ, परिवर्तन की बात करते हो। खरगहनी से तालाब की दूरी कितनी है 20 कि.मी.। पर्थरा, कलमीटार का सीमा लगा हुआ है। आधा नदी इसी में आधा नदी कलमीटार में है, 10 कि.मी. का क्षेत्र है, कोटा 10 कि.मी. में नहीं है। कलमीटार, जोगीपुर 10 कि.मी. के अंदर में नहीं है। 28 ग्राम पंचायत आतें है। पूर्ण जानकारी लेकर आओ। उसके बाद जन सनुवाई करना। अपना ढेरा–ढंढी लेकर जाओ। जब तक जवाब नहीं दोंगे, आगे कार्य नहीं होगा। आदिवासी जमीन कैसे सामान्य हुआ, दो दिन में। शिविर लगाये हो। कोल वॉशरी का दबाव है। टोटल फर्जीवाडा करत हव। गुंडाराज नहीं चलेगा। जनता का अवाज को दबाया जा रहा है। लाठी, डंडा के दम पर जनता को चमकाया जा रहा है। 19 तारीख को कलेक्टर साहब के सामने गये थे। आप दो आदिवासी का खसरा नंबर लाकर दे दो। हम तुरंत निरस्त कर देंगे। आज इतना दिन हो गया, 110 किसान के 52 एकड जमीन का खसरा निकाल के दिये है। उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमको हिसाब दो, बताओं कहां है कोल वॉशरी। 10 कि.मी. वायु सीमा कहां है। आपका प्रस्ताव कहां है। पौधो को रौंदवाया।

4. **श्री विकास सिंह, विधायक प्रतिनिधि कोटा** :– आप लोगों से ये कहना चाहता हूॅ कि सबसे पहले पूरे जितनी भी पंचायते है। कोटा विधानसभा या तखतपुर की। आप

लोगों के द्वारा बताया गया है कि 96 मीट्रिक टन का वॉशरी है प्लांट है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उस प्लांट को जनता को दिखाये यदि आप लोग दिखा देते है कि मैं आपको वचन देता हूँ कि अपने विधायक प्रतिनिधि के हैसियत से आप प्लांट तत्काल लगा लो। यदि नहीं है तो गलत तरीके से प्रशासनिक रूप से दबाव बना के आदिवासियों को, गरीबो को परेशान न करें। हमारे नगर के लोग है हमारे बीच के लोग है। हमारे बीच में रहे तो अच्छा रहेगा। पूरे गांव की जितनी पंचायते है जब तक सहमत नहीं हो जाते तब तक ये जन सुनवाई को रोक देवे। पूरी जनता आंदोलित है कुचल के दबाव बना के कोई भी प्लांट लगाना ये कही का न्याय नहीं है। न्याययोगिक कार्य आप लोग करिये। जन सुनवाई तभी करिये जब आपका कागज पत्तर पूरा हो जाये। पंचायत का प्रस्ताव आ जाये। सब चीज करने के बाद आप लोग करिये। कोटा विधानसभा के पंचायत के पेशा कानून के अंतर्गत आती है। वहां की जमीन की रजिस्ट्री कैसे हो जायेगी। आप लोग कार्यवाही यही रोक दे। आगे का स्थिति हो सभी पंचायत के प्रतिनिधि लोग जनप्रतिनिधि सभी लोग आये हुये है। उनको बता देंवे। न आप परेशान हो न जनता परेशान हो न और कोई लोग परेशान हो।

5. **श्री बैकुंठलाल जायसवाल, ग्राम–खरगहनी** :– कल जैसी ही सूचना मिला। एसडीएम साहब को अपना दायित्व समझते हुये फोन लगाया। लेकिन आपसे फोन से चर्चा नहीं हुआ। आप लोग प्रशासनिक पद पर बैठे हुये है। कोल वॉशरी के एजेंट के रूप में आप लोग काम कर रहे है। 24 घंटा आप लोगों से हमारा संबंध है। ऐसा कौन सा कारण है कि खरगहनी में पब्लिक के बीच में ऐसा जाली लगाकर आप लोग बैठे हुये है। आप लोग दूसरे देश के हो, और हम लोग दूसरे देश के। आप के भरोसे में पूरा जनता निवास कर रही है। लेकिन जैसा कि यहां के निवासी राजेश साहू ने बताया कि मेरे बाद न कोई न बात करेगा। आप जिस व्यक्ति को हमारे भाई को थाने में उठा के बैठाये है। करबद्व प्रार्थना है आप लोगों को जितना समय लगता है। उतने देर में उस व्यक्ति को उपस्थित करें। उसके बाद अगले कार्यवाही में हम लोग उपस्थित होंगें। नई तो कोई भी स्थिति पैदा होगी। उसकी जवाबदारी आप लोग की है।

6. **श्री मनोहर सिंह राज, अध्यक्ष जनपद पंचायत ग्राम–कोटा** :– कोल वॉशरी के विरूद्व में अपना जवाब रख रहे है। यहां पर जनहित में काम हो, जनता का काम हो। क्योंकि आने वाला समय में कोल वॉशरी खुलने पर हमने कई जगह देखा है घुटकू में खुला है। घुटकू के आसपास बहुत ज्यादा जनताओं को वहां के आसपास रहने वालो को परेशानियों का सामना करना पडा है। पहले तो कोल वॉशरी खोलने के पहल उस क्षेत्र में, क्षेत्र के सभी सरपंच है जनमानस है। जनता है, समाज के जो प्रमुख लोग है। उनसे विचार–विमर्श करना चाहिए। इसमें क्या प्रतिक्रिया किया जा सकता है। क्या प्रतिक्रिया आता है हॉ या नहीं में पक्ष में समर्थन देते है, होना चाहिये था। इस कोल वॉशरी में हम पहली बार जन सुनवाई में आये थे। पहले 99 मिलियन टन मिला था सुनता हूँ कि 248 मिलियन टन का एक्स्ट्रेन्शन हो गया है,

और बढ गया। मानो हम लोग के आवाज नहीं उठाते तो 2.48 मिलियन टन का नहीं बढता। मानो लगातार विरोध हो रहा है। इस प्रकार जनताओ के हित में हमारे कई व्यक्ताये है। पहुंचे है हमारे क्षेत्र के लोग है। सभी का जनमानस है, विचार है। उनके हित में ये कदम उठाया जाये। हम आपका साथ देंगें। जो जनहित में हो। क्षेत्र के जन मानस है जनता का काम हो।

7. **श्री अमित जोगी, रायपुर** :–आज जन सुनवाई हो रही है। जो इकॉनामिक असिसमेंट इम्पेक्ट रिपोर्ट पर्यावरण प्रभाव की रिपोर्ट तैयार करी गई है। इस कंपनी के द्वारा सबमिट की गई है। उसकी तारीख अक्टूबर 2020 है। जिस आधार पर ये जन सुनवाई रखी गई अक्टूबर 2020, आज क्या चलत हे मई 2023 अरपा में तब तक कितना पानी बह गया। पहली चीज तो जो गाईड लाईन्स है। वो साफ–साफ बोलते है। तत्कालित रिपोर्ट होना चाहिए। 2020 में 1999 में यहां की पर्यावरण की क्या स्थिति थी। वो आज स्थिति होगी। ये गारंटी नहीं है। गर्मी हो रही है, बे–मौसम बरसात हो रही है। जन सुनवाई का आधार 2023 की रिपोर्ट होनी चाहिए। न कि 2020 की ये रिपोर्ट। पूरे प्रदेश की हिसाब में कई जगह जनसुनवाई होती है। ये जो अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट है इसके आधार पर शासन ने इसको 2021 को महावीर कोल वॉशरीज को 99,000 टन प्रतिवर्ष कोल वॉशरी खोलने की अनुमति दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर और आज यहां के लोग आपको कोल वॉशरी बनायेंगे चालू हो गई है क्या उसका एक भी ईटा यहां रखा गया है। इस रिपोर्ट में जो एप्लीकेशन दी गई है। पालुशन कंट्रोल बोर्ड को जो एप्लीकेशन दी गई है वॉटर बोर्ड को जो एप्लीकेशन दी गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो एप्लीकेशन दी गई है। तीनों में इसका उल्लेख ये किया गया है। ये नया प्रोजेक्ट है। जबकि ये नया प्रोजेक्ट है जबकि ये नई आपका बोर्ड लिखा है उसमें खुद लिखा है कि कुल क्षेत्रफल पर 16.37 एकड से क्षमता 0.99 मिलियन टन/वर्ष से बढाकर 2.48 से बढकर वेट टाईप के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत्। एक तरफ आपके पेपर बोल रहे है कि ये नया प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये ऐक्सपेशन कहां जा रहा है। ऐक्सपेशन तब होता है जब कुछ बना, यहां कोई एक्सपेशन नहीं हो रहा है। सबसे बढी जो बात है। ये जन सुनवाई हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मार्ग दर्शको के विपरीत है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के मार्ग दर्शन के विपरीत है। यहां से जहां हम खडे है खरगहनी से कटेता बेरियर जहां से अचानक मार्ग टाईगर रिर्जव का कोर जोन चालू होता है। उसकी दूरी मात्र 6.5 किलोमीटर है। एक तरफ उसके अंदर बसे हुये 7 गांव को वहां से आपने हटा के जलदा में स्थापित कर दिया। दूसरी तरफ जो फारेस्ट से कोर जोन मात्र 6.5 किलोमीटर दूर है। इलाका है, इसमें आप कोल वॉशरी खोलने की अनुमति देने जा रहे है ये सरासर गलत है। यहां पर साफ–साफ धोखाधडी हुई है, ये जिसने भी रिपोर्ट तैयार की है कलकत्ता की पार्टी है। उन्होंने पूरा–पूरा झूठ का पुलिंदा यहां पर प्रस्तुत किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल एफआईआर होनी चाहिए। एक तो जो 2020 की रिपोर्ट थी जिसके आधार पर एक बार परमीशन मिल गई। उसी आधार पर अब नई परमीशन लेने जा रहे है और जिसने रिपोर्ट तैयार की गई है उसने ये

कहां है अपनी रिपोर्ट में फॉरेस्ट विभाग का हवाला देते हुए कि यहां से एटीआर कोर जोन की दूरी 14.8 किलोमीटर है जो सरासर तथ्यात्मक दृष्टि से गलत है। चाहे रोड से मैप करा लिजीए, चाहे एरियल मैपिंग करा लिजीए। इस जनसुनवाई में सबमिट करने जा रहे है। यहां अप्रोच रोड बनी है। आप खुद अप्रोच रोड से आये हुए है। 12 मीटर बाए 16 मीटर रोड तैयार हो चुकी है। मैं पर्थरा गांव वाले से पूछना चाहता हूॅ। 12 मीटर बाए 16 मीटर रोड क्या आपको देखने को मिली है। रोज 533 बडे 8 चक्को वाले ट्रक का आनाजाना प्रस्तावित है। ये रोड़ इतना लोढ ले सकती है। जो नियम तय किये है। 10 किलोमीटर के आसपास भी खुलना तो दूर ऐसी वॉशरी दिखना भी नहीं चाहिए। हम लोग मात्र 6.5 किलोमीटर की दूरी पर बैठे है। न जाने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस प्रकार का मैप तैयार किया गया है वन विभाग के सर्वर है उनकी भी संगत्ता है। ये जो कंपनी है जिनको इंगेज किया है जिन लोगो मालिको को इसकी जानकारी नहीं थी। जिन लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इण्डटेक हाऊस कंसल्ट, दिल्ली ये रिपोर्ट तैयार की गई है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूॅ। यहां पर नहीं आये है। उस रिपोर्ट में भी ऐसे खुलासे हुए है। मान ले कि वो रिपोर्ट तैयार है। आज 0.99 एमटीपीए की वॉशरी यहां संचालित है और न ही उसको बढाकर 2.48 एमटीपीए की वॉशरी संचालित है ऐसी स्थिति में यहां से कोटा मात्र 4.0 किलोमीटर दूरी कोटा में ऑलरेडी जो पार्टिकुलेट मैटर है। हमारे वायु में जो 10 पीपीएम से ज्यादा का मैटर है जिसको अगर आदमी के स्वास्थ में अपूर्ण क्षति पहुंच सकती है। 10 से नीचे होना चाहिए। दिल्ली में जब ये 23 हो गया था तब पूरा दिल्ली बंद कर दिया गया। यहां हमारे कोटा शहर में पार्टिकुलेट मैटर कंटेट है एयर मैप। इन्ही की रिपोर्ट कर रही है। वो 10 पीपीएम है। ऐसे में वॉशरी खुलेगी तो क्या होगा यहां के लोगो पर। जो हाल हम गेवरा, घटकू में देखते है। वैसा हाल यहां पर होने जा रहा है। जिसने भी ये फर्जी रिपोर्ट तैयार की है। उसने भी अपना नाम भी दिया है। डॉक्टर जे.के. मोइत्रा, आप देखेंगे ये रिपोर्ट में 2020 से इसने हाथ से बनाकर 2023 कर दिया है। जबकि 2023 का 2021 का काई भी डेटा, न कि 2021 का डेटा, 2022 का डेटा, न कि 2023 का डेटा वो किस डेटा की बुनियाद पे और सबसे बडी बात है। यहां पर अनुमति दे दी और फिर से जनसुनवाई रखवा दी है। पहले सरकार को तो देखना था जो आपने जमीन आप ने दी। उसमे चार्ट रहता है वो जमीन हमने इस काम के लिए दिया था। इतने महीने में इतना काम हो जाना चाहिए। परमीशन रद्द स्वयं की जा सकती है। बल्कि करनी पडेगी। जब 2021 से 2023 तक ये सब परमीशन लेकर बैठे है। कोई काम भी चालू नहीं किया। हमारी पहले तो हमारी ये मांग है। जो आप ले 2020 में परमीशन दी थी। उस पर आगे कोई काम नहीं किया। इसलिए सारी परमीशन है। वह स्वमेय रदद् हो जानी चाहिए। यहां पर उन्हे राज्य सरकार ने अरपा से पानी लेने की अनुमति नहीं दी है। पानी कहां से आयेगा। यहां पर 9 लाख रोज। 9 लाख टन कोयला, गंदा कोयला क्लीन कोयला कोरबा से निकलेगा। उसकी धुलाई यहां की जायेगी। उसमें 9 लाख क्लीन कोल, और करीब 5 लाख क्लीन कोल, रिजेक्ट कोल तो और भी ज्यादा हानिकारक होता है। वो यहां से तैयार किया जायेगा। ये कंपनी के द्वारा प्रस्तावित है। इसके लिए कोई बढा ये

साइंस की जरूवरत नहीं है। पानी की जरूवत होती है। हवा से धोयेंगे तो नहीं, पानी से धायेंगे। ये पानी कहां से आयेगा। अरपा भैंसाझार का पानी आप ले नहीं सकते है कि देश का कानून है कि किसी भी नहर का नदी का पहला अधिकार निस्तारी के लिए, दूसरा अधिकार किसानी के लिए, बाकी पानी बचता है वो अन्य उपयोग ये जैसे इण्डस्ट्रीज के लिए ये हमार माडल वॉटर एक्ट है। राज्य सरकार ने उसको अभी लागू क्यों नहीं किया। क्योंकि सेंट्रल लेब आ गया है अब उसको उसको लागू कर देंगे। कोई जरूवत नहीं है। सेंट्रल वॉटर बोर्ड जो हमारे छत्तीसगढ़ का वॉटर बोर्ड है। उन्होंने इस कंपनी को ग्राउंड वॉटर से मतलब जमीन के निचे जो पानी है उससे 250 किलोलीटर मातलब 2,50,000 लीटर पानी रोज यहां की जमीन से निकलने की अनुमति दी है। लेकिन कंपनी खुद बोल रही है। 4,10,000 लीटर प्रतिदिन, ये तो शेष पानी है। 1,60,000 लीटर पानी ये कहां से लेकर आयेंगे। आप ऑन द स्पॉट टेस्टिंग करिये। कंपनी के द्वारा बोला गया है। यहां पानी आसानी से उपलब्ध है। कंपनी ने कहां है 33 फीट में पानी यहां से निकल जायेगा। यहां पर खोदना चालू करते है अगर 33 फीट में पानी निकल गया। तो बनवा लीजिए अपनी वॉशरी। आप खुद ये स्वीकार कर रहे है हम केवल 250 कि.ली. पानी जमीन से अनुमति दे सकते है। शेष पानी की व्यवस्था कहां से होगी। इसका जवाब भी इस पब्लिक हिरींग में लोगो को मिलना चाहिए। हसदवे मां छत्तीसगढ़ के महतारी में भारत में सबसे ज्यादा कोयला के भंडार है। दंतेवाडा मा लोहा के भंडार है। अमलाई मा नारायणपुर मा लोहे का भंडार है। पेशा कानून के सक्ती से पालन करवाबो। जोन पार्टी के नेता बोले रहीन कि यहां से एक बूंद कोयला नहीं निकालने देंगे। आज वही पार्टी के लोग पेशाकानून के धज्जीयां उडावत हे। ये जो हमर क्षेत्र हे कोटा के क्षेत्र, यहां इतका जंगल है, इतका पेड हे। जहां पेशा एक्ट लागू हे। न लोकसभा, न विधानसभा सबसे उपर ग्रामसभा। एक सरपंच से एनओसी ले लेहू, ये नहीं चलही। यह जहां अनुसूची लागू नहीं है। जहां पेशा लागू नहीं है वहां आप मन ऐसी हरकत कर सकत हव। लेकिन जहां पेशा के कानून लागू हे। वहां ग्रामसभा पहली कराई पढही। खरगहनी, पर्थरा मा 10 किलोमीटर के वायु रेडियस है। मतलब रतनपुर, कोटा के जतका भी गांव आथे। वोमा जनसुनवाई होना चाहिए। तभी पब्लिक हीरिंग के मतलब हे। कंपनी वाले सीएसआर लिखते। हम समाज के लिए क्या करेंगे। लिखते बहुत कुछ है अस्पताल खोलेंगे, बच्चों के लिए स्कूल बनायेंगे रोड बनायेंगे, बगीचा पार्क खोलेंगे। ये बेशर्म कंपनी है जो इसमें पूरा विवरण है इसमें कि वो क्या करने जा रहे है। वो मात्र आधे पन्ने में समाप्त कर दिया है। हम बस पर्यावरण का ध्यान देंगे और कोई ठोस चीज इन्वायरमेंटल इम्पेंक्ट अससेसमेंट रिपोर्ट की कंडिका 6 है। आठवे पेज में आप उसको देखिये। वो तो मजाक हो गया है। गूगल से कि छत्तीसगढ का क्या भोगौलिक स्थिति है। वो पूरा का पूरा डाल दिया। इसमें बिलासपुर और बिलासपुर संभाग के कोई भी एरिया का कोई जिक्र नहीं है। इस तरह की उटपटांग रिपोर्ट बनाकर जनता के साथ छलने का काम किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि बिना जनसुनवाई के ये जो कमियां है उनको पूरा किये ये जनसुनवाई को आगे बढाना चाहिए। कंपनी वाले कई दिनों तक घूम रहे थे। गांव वालो से दस्तख्त

करवा रहे थे। उसका कागज आपके पास पहुंचा दिये होंगे। उसका आज मैं खंडन करने आया हूॅ। सारे लोग इकट्ठे है वो आपको बलायेंगे जिस कागज में वो दस्तखत किया। वो उनके दस्तखत है ही नहीं। या उनको बहला के फुसला के उनको दस्तख्त करवाये है। इस एरिया का शिक्षा स्तर क्या है। किसी को टाईम नहीं है। मैं तो अंग्रेजी वाला हूॅ। इसलिए इतनी सारी रिपोर्ट पढ डाला। पर यहां किसी को टाईम नहीं है। आप ने जो हिंदी अनुवाद भी जो करना था वो भी नहीं किया है। इन्वायरमेंटल इमपेक्ट असससेसमेंट रिपोर्ट जनसुनवाई सबसे ज्यादा उसको पब्लिसिटी उसको दी जाये। ये हमारा एनजीटी बोलता है। जो कागज मेरे पास उपलब्ध है। जिसमें वॉटर, एयर, नाईटोजन कार्बन मोनोडाई आक्साईड लेकर आपको हिन्दी में वैज्ञानिक रिपोर्ट दी गई हो। जो भाषा आप समझ सकते है। कतका लोग यहां पर अंग्रेजी समझत हे। ये तो सांईटिफिक लेंगवेज है। हम लोगों को भी डिक्सनरी खोलनी पढती है। तो आप कृपया छत्तीसगढ के लोगों को इतना भोला मत समझिये।

8. **श्री राधेश्याम शर्मा, ग्राम–रायगढ़** :– ये अवैध जन सुनवाई है। जन सुनवाई की कोई गाईड लाईन नहीं है। जनता ला ऐसे गुमराह मत कराहा आप। ये जो काननू बनिस है ये कानून ला क्षेत्र के जनता ला बिल्कुल नहीं है। जबकि 10 किलोमीटर के वायु सीमा में जतकी ग्राम है। वहां आप मन ला मुनादी करा कर गांव के आदमी ला इकट्ठा कर बताना रहीस है कि कानून ये है। और ये–ये नियम। 14 सितम्बर 2006 के भारत सरकार के गजट के जो अधिसूचना है और ओखर जो–जो संशोधित प्रावधान है। ओखर जन सुनवाई होना चाहिए। जब से जन सुनवाई होवत हे, वो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है गैर कानूनी है। ये मन कानून और संविधान के उल्लंघन करत हे। ईआईए रिपोर्ट के उल्लेख मैं कोई बिन्दु ला जनता ला नहीं बताने वाला हव। जो संविधान में विशेष अधिकार दिये गये हे। अनुसूचित क्षेत्र ला। 5वीं, 6वीं अनुसूची। माननीय उच्चतम न्यायालय के दखल के अधिकार ओला नहीं हे। वो स्वतंत्र है। वो पेशा अधिनियम के तहत् आप ओखर अनुमोदन लेहा। ओखर सहमति लिहा। आप कैसे जनसुनवाई करवा था। ये कंपनी जो ईआईए रिपोर्ट तैयार कराईस हे। वो कंसलटेंट ला बुला लेवा वो एक ठोक गांव बता दे। कि कौन गांव के पानी ला, हवा ला, माटी ला, ध्वनि ला जो गांव से सेंपल लिये जाथे। वो गांव मा पंचानामा किये जाथे। 5 झन ला बुला के कि तोर गांव के पानी ला लेवत हन। ये ईआईए फर्जी है, मनगढन हे और ये कंपनी मनगढत रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट जन सुनवाई करवात हे। राज्य सरकार में एक स्क्रीनिंग कमेटी होथे। पर्यावरण संरक्षण मंडल के एक स्क्रीनिंग कमेटी होथे। 14 सितम्बर 2006 के भारत सरकार के जो अधिसूचना है वो ही कानून है। 1972 में एक बैठक होईस। गंभीर चिंतन किये गईस। 20 साल से फिर से बैठक हुईस। एक प्रस्ताव पारित होईस अगर विश्व ला बचाना है। जल, जीवन, जंगल, जैव मंडल ला सुरक्षित रखना है। तो कानून बनाना चाहिए। 1986 से प्रक्रिया शुरू हो गईस हे। जो संशोधित अधिनियम है। 14 सितम्बर 2006 मैं 28 साल से ऐसे जनसुनवाई ला हमर छत्तीसगढ़, उडीसा, महाराष्ट, मध्य प्रदेश जहां–जहां बुलाते। ये ग्राम पंचायत आप मन ला अनुमति नहीं

दीईस हे। नागरिक होये के नाते मोर सर्वोच्च अधिकार हे। अवैध जन सुनवाई ला बंद करो, और तत्काल वापिस जाओ। गांव के मन यही शांति पूर्वक धरना आंदोलन करो। कोई सरकार मुख्यमंत्री वंचित नहीं कर सके। आप मन के अपराधि दर्ज करा लो। 14 सितम्बर 2006 के प्रावधान में ये प्रावधानित किये गये हे कि 2 साल के ऊपर ईआई रिपोर्ट चल नहीं सकेय। आप मन एक्स्ट्रेंशन है या स्थापना आप मन नहीं बता सका। न लिख सका। यहां के 10 कि.मी. वायु सीमा में नगर पंचायत कोटा आथे। आप के अधिसूचना है आप के नियम है ओखर तहत वो क्षे में जो भी ग्राम पंचायत पढही, जो भी नगर पंचायत पढही, निगम पढही, नगर निगम पढही। ला ईआईए रिपोर्ट ला जनता को उलब्ध आप मन ला कराना पढही। दस्तावेज ला छुपाये हा। जानकारी ला जनता से छुपाये हा। ये जन सुनवाई पूर्ण रूप से निराधार है। हिन्दी में भी ठीक से नहीं है। ऐखर संशोधन होना चाहिए। यहां पर कम्पलीट हिन्दी के साथ अंग्रेजी व छत्तीसगढी भी होना चाहिए। छत्तीसगढीय के घोर अपमान हें।

''जन समुदाय द्वारा बीच–बीच में हो हुल्लड कर कोल वॉशरी बंद करो, बंद करो की आवाज लगाई गई।''

9. **श्री दिलीप अग्रवाल, बिलासपुर** :– 52 एकड जमीन आदिवासी की है। जमीन की जानकारी प्रदान क्यों नहीं की गई। किस अधिकार से बेचा गया उसको। आपका यहां उद्योग संचालित नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं उसकी बात कर रहे है। आप स्वयं ईआई रिपोर्ट नहीं पढते है। 8 गांव है, आपकी यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पूरे क्षेत्र के गांव को बुलाओ जी। हमें नियम बता रहे हो। ये जन सुनवाई निरस्त करके जायेंगे। जनता की ताकत क्या होती है।

10. **श्री छबिलाल मरावी, ग्राम–खरगहनी** :– छत्तीसगढ शासन द्वारा पेशा एक्ट लागू कर दिस हे। ओमा के मैं खुद अध्यक्ष हूॅ। मैं बार–बार अधिकारी मन ला पूछना चाहत हव कि पेशा कानून के मतलब क्या है। मैं चुपचाप चले जाहूॅ। उसका मतलब बता दिजीए आपको जाना पडेगा। मैंने नहीं लिया है। जब तक नहीं बताओगे तो नहीं जाने दूंगा। कौन–कौन सा उद्योग खुल सकता है और कौन सा नहीं खुल सकता है। ये आदिवासी क्षेत्र है आप बढे उद्योग नहीं लगा सकते। आप उसने पैसे के बल पे जनता को चूस रहे है। हम आदिवासीयों की जमीन 24 एकड जमीन आज हमारे गांव के आदमी लेता है तो उसके लिए परमीशन लेना पडता है। आप उस जमीन को वापस करीये। वो जमीन कोल वॉशरी में कैसे चला गया। पेशा कानून लागू है जब तक वापस नहीं करेंगे तो हम लोग जायेंगे नहीं। आपको वापस करना पडेगा आदिवासी की जमीन को। आप लोग छल पूर्वक जमीन को लिये हो। आपको वापस करना पडेगा, जमीन को। आज की जन सुनवाई कर रहे है उसको को निरस्त करना पडेगा। आज आपको जाने नहीं देंगे। इतने पुलिस बल मंगाये है। हम लोग के लिए। हम लोग ऐसे लडाई नहीं लडते। आप को धूप में खडा होना

पडेगा। जब तक लिखित में नहीं दोगे तो जाने नहीं देंगे। जब तक आदिवासी की जमीन वापिस नहीं होगी तो हम लडते रहेंगे।

''अभी तो अंगडाई है, आगे और लडाई है के नारे लगाये गये। कोल वॉशरी के दलालों को जूता मारो सालो के भी नारे लगाये गये।''

11. **श्री संदीप, मंडल अध्यक्ष** :– ग्राम खरगहनी में कोल वॉशरी खोलने में कितना नुकसान होगा, कितनी हानि होगी। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। मैं मंडी का अध्यक्ष हूॅ किसानों के हित में बात करने आया हूॅ। कोल वॉशरी बहुत खुला है कोटा में भी खुला है। वहां खुलने से किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। इसका अंदाजा पहले नहीं था पर जब कोटा मे खुला। उसका दुष्परिणात हम लोगों ने देखा। मापदण्ड के रूप में कोल वॉशरी को खोला जाये। हम लोग किसानो के हित में आकर खडे है। कोल वॉशरी न खोला जा रहा है। हम निवेदन करते है जो सरकार ने गाईड लाईन जारी किया है। उस दिशा निर्देशो के तहत् कोल वॉशरी खोला जाये। वर्तमान में इसकी क्षमता को बढाने के लिए कोल वॉशरी खोला गया है। पहले कोल वॉशरी खोल तो लीजिए। फिर क्षमता बढाने के लिए बोलेंगे। किसानों का हित हो रहा है। मुझे आज लग रहा है कि कोल वॉशरी खुलने से किसानों अहित होगा। आज जन सुनवाई में किसानों की हित के बारे में बात नहीं करेंगे। लगातार इसका विरोध करते रहेगी। किसानों को धान का बोनस दिया जा रहा है। कोल वॉशरी से खुलने से कोल वॉशरी का धूल, कोल वॉशरी का पानी किसानों के खेत में उसका पानी जायेगा तो फसल चौपट हो जायेगी। मैं खेती किसानी वाला व्यक्ति हूॅ तो खेती किसानी की परिभाषा समझता हूॅ। उपस्थित ग्रामवासी से निवेदन करूंगा कि किसानों के हित में सब आप साथ दे। किसानों का अहित सुनिश्चित नहीं किया जाता। कोल वॉशरी कोत तब तक खुलने नहीं दिया जाये। मैं गांव वालो के साथ हूॅ किसानों के साथ हूॅ।

12. **श्री प्रदीप साहू, अजीत जोगी युवा प्रदेश अध्यक्ष** :–कोल वॉशरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जो भुईया मा अजीत जोगी के जन्म होईस हे। ये भुईयां में कोल वॉशरी नहीं खुल सके। सबके सब जोगी परिवार के सदस्य है। छत्तीसगढ के लोग ला धान बोये आथे, तो धनिया बोये भी आथे। ये जो जमीन अजीत जोगी के जन्म है। कोल वॉशरी नहीं खुलने देंगे। ओखर दुख ला नहीं सह सकूस। कोल वॉशरी नहीं खुलेगा। आप यहां से शांति पूर्वक नहीं जाहू तो हमन ला अशांति करना पडही। जवाबदार आप मन के है। आप मन हमन से जबरदस्ती करवाना चाहत हो। आप के दादागिरी यहां नहीं चलही।

''महावीर कोल वापस जाओ। महावीर कोल वापस जाओ। कोल वॉशरी नहीं चलेगा। कोल वॉशरी नहीं चलेगा। फर्जीवाडा बंद करो। फर्जीवाडा बंद करो। पेशा

एक्ट का पालन करना होगा। पेशा एक्ट का पालन करना होगा। महावीर कोल वापस जाओ। महावीर कोल वापस जाओ।''

''कोल दलाली करने वाले वापस जाओं। कोल दलाली करने वाले वापस जाओं। भष्ट अधिकारी वापस जाओ। भष्ट अधिकारी वापस जाओ। अधिकारी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। अधिकारी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। महावीर कोल वापस जाओ।''

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अतिरिक्त कलेक्टर, जिला–बिलासपुर द्वारा लगभग 1:30 बजे लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 05 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 12 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 150 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 06 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अतिरिक्त कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.)